

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा**  
(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 16/2018 अपील

1. श्री गोपाल पिता केसरा मीणा निवासी बनाम राजस्थान राज्य जरिये  
समरा माता का झुपडा तहसील जहाजपुर तहसीलदार जहाजपुर जिला  
जिला भीलवाडा भीलवाडा

—अपीलार्थी

— रेस्पोंडेंट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**  
**विरुद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले**  
**प्रकरण सं0 410/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017**

उपस्थित –

1. श्री मेहराज अली अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोंडेंट की ओर से



**निर्णय**

दिनांक 28.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरुद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें प्रकरण सं. 410/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट ने ग्राम अमरवासी की आराजी सं. 2756 रकबा 6.00 बीघा भूमि से शास्ति लगान 300/-रूपये जुर्माना व 15 दिन के कारावास का निर्णय विरुद्ध अपीलार्थी के पारित करने में कानूनी भूल की हैं। उक्त वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थी वर्षों से काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। अपीलार्थी का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर सन् 1990 से पूर्व का चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी नियमन योग्य हैं, क्योंकि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में बिसलपुर परियोजना के विस्थापितों के कृषि एवं पुर्नवास कॉलोनी के प्रयोजनार्थ आरक्षित करना अंकित किया गया है। वादग्रस्त आराजी धारा 15 टिनेंसी एक्ट के बाधित नहीं हैं तथा आवंटन योग्य है। प्रार्थी / अपीलार्थी एक भूमिहीन अनुसूचित जनजाति का गरीब काशतकार हैं और खेती बाड़ी ही अपीलार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन है। अपीलार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं, न ही पूर्व या पश्चात्वर्ती अतिचारी के रूप मे रहा है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी जब वारण्ट से गिरफ्तार कर दिनांक 10.01.2018 को तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष पेश किया गया, तब हुयी । तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सजा को अपील प्रस्तुत करने तक स्थगित करने हेतु निवेदन किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जहाजपुर द्वारा दिनांक 10.01.2018 से 12.02.2018

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा (राज.)

तक एक माह का अपील प्रस्तुत करने का समय दिया गया । दिनांक 10.01.2018 के आदेश से निणय दिनांक 10.10.2017 जानकारी से अन्दर अवधि पेश है। फिर भी दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः निवेदन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित उक्त प्रकरण सं. 410/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 के आदेश को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे । अपीलार्थी के नाम पर वादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश बक्षाय जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.02.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया ।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम अमरवासी की आराजी सं. 2756 रकबा 6.00 बीघा भूमि से शास्ति लगान 300/-रूपये जुर्माना व 15 दिन के कारावास का निर्णय विरुद्ध अपीलार्थी के पारित करने में कानूनी भूल की हैं। उक्त वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थी वर्षों से काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। अपीलार्थी का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर सन् 1990 से पूर्व का चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी नियमन योग्य हैं, क्योंकि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में बिसलपुर परियोजना के विस्थापितों के कृषि एवं पुर्नवास कॉलोनी के प्रयोजनार्थ आरक्षित करना अंकित किया गया है। वादग्रस्त आराजी धारा 15 टिनेंसी एक्ट के बाधित नहीं हैं तथा आवंटन योग्य है। प्रार्थी / अपीलार्थी एक भूमिहीन अनुसूचित जनजाति का गरीब काशतकार हैं और खेती बाडी ही अपीलार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन है। अपीलार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया है, न ही पूर्व या पश्चात्वर्ती अतिचारी के रूप में रहा है। निवेदन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित उक्त प्रकरण सं. 410/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 के आदेश को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे। अपीलार्थी के नाम पर वादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश बक्षाय जावे ।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी । वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं । अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे ।

सर्वप्रथम अपील में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया



अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीलवाड़ा (राज.)


गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हैं कि पटवारी हल्का उंचा द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध ग्राम अमरवासी तहसील जहाजपुर की आराजी नं० 2756 रकबा 6.00 बीघा भूमि पर संवत् 2073 में भी प्रकरण न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर में दर्ज कराया गया एवं उक्त न्यायालय ने बेदखली के आदेश दिये। अपीलार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के शास्ति लगान 6.00 का 50 गुणा 300/-रूपये के अधिरोपित कर वसूलने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव—

### आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती हैं। तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 410/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
28/5/18  
(एल.आर.गुगरवाल)  
अति. जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा (रकबा.)